

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक-

04.10.2020

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल – 35 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा- 151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया ।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. ऋषि कुमार पुत्र स्व० राम गरीब नि० नौसहरा बनगई थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 304 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

02. थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राकेश पुत्र कन्धई नि० पिपरा इस्माइल थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 251 / 20, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. दीपनरायन पाण्डेय पुत्र शीतला प्रसाद पाण्डेय, 02 अभिमन्यु उर्फ विच्छी पुत्र राममिलन नि०गण नकहरा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 30 ली० अवैध कच्ची शराब व 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर मु०अ०सं०- 420 / 20, धारा 60.72 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

अपहरण करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा । रविवार जनपद गोण्डा के थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा अपहरण करने के आरोपी अभियुक्त- पन्ना लाल उर्फ सुरेन्द्र पुत्र लाल बहादुर नि० बनरहा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को थाना खोड़ारे पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 249 / 20, धारा 364 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्त ने वादी अमरनाथ पुत्र रामकुमार नि० बनकटवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा की बहन को जान से मारने की नियत से अपहरण कर लिया था। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना खोड़ारे में अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें खोड़ारे पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर सोनबरसा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

चोरी करने का वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना नवाबगंज पुलिस ने चोरी करने के आरोपी अभियुक्त सुराज चौहान उर्फ सूरज पुत्र मग्घे नि० चौबेपुर हतवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को थाना नवाबगंज में पंजीकृत मु०अ०सं० – 409 / 2020, धारा 379.411 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने दिनांक 02.09.2020 को वादी दुर्गेश कुमार पाण्डेय पुत्र रामगरीब पाण्डेय नि० पाण्डेयपुरवा मौजा हरिवंशपुर थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा की भैस को चोरी कर लिया था। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना नवाबगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें नवाबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित आरोपी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को थाना नवाबगंज में पंजीकृत अभियोग के तहत माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

मारपीट करने का वांछित आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना खरगूपुर पुलिस ने मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त- 01. कुदूस पुत्र सादिक नि० केसईपुरवा भटपुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर पर पंजीकृत मु०अ०सं०- 171 / 20, धारा 323. 324.504.308 भादवि० के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

उक्त अभियुक्त ने आपसी रंजिश के चलते वादी गुलाम नबी पुत्र अनवारुल हुसैन नि० केसईपुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को गाली- गुप्ता देते हुए मारा- पीटा था, जिससे वादी गुलाम नबी मौके पर बेहोश हो गये थे। जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना खरगूपुर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें खरगूपुर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त वांछित आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

छेड़छाड़ व मारपीट करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार-

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना तरबगंज पुलिस ने लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी अभियुक्तों- 01. मोहित, 02. जयदीप पुत्रगण रामरंग कनौजिया नि० शुक्लगंज चांदपुर थाना तरबगंज

जनपद गोण्डा को थाना तरबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 360 / 20, धारा 354.324.323.504 भादवि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया ।

उक्त अभियुक्तों ने थाना तरबगंज क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था तथा विरोध करने पर गाली गुप्ता देते हुए मारा- पीटा था , जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के चाचा द्वारा थाना तरबगंज में उक्त आरोपी अभियुक्तगणों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था । जिसमें तरबगंज पुलिस ने कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अनीस शाह पुत्र लियाकत अली नि0 जमलापुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 298 / 20, धारा 8 / 20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा ।

बरामदगी-

01. 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा ।

संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 04.10.2020 को थाना वजीरगंज के थानाध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी मय हमराह फोर्स के क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर की सूचना पर जमलापुर पुलिया के पास से उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया । अभियुक्त को थाना वजीरगंज में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया ।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. थानाध्यक्ष संतोष कुमार तिवारी थाना वजीरगंज गोण्डा ।

02. उ0नि0 अखिलेश यादव ।

03. का0 अरुण यादव ।

04. का0 विनय कुमार ।

05. का0 अमित कुमार ।